



Prof. Ummed Singh
DEAN

**COLLEGE OF AGRICULTURE, FATEHPUR-SHEKHAWATI
SIKAR-332301, RAJASTHAN**

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर- 332301, राजस्थान

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

+91-8299837429

dean.coafatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक: एफ./स्था./कृषि महा./फतेहपुर/2024/956

दिनांक : 26/12/2024


खुली बोली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय फतेहपुर पर ग्वार, चँवला व मूंग के भूसे (Straw) की नीलामी हेतु खुली बोली दिनांक 03.01.2024 को सुबह 11.30 बजे फार्म पर रखी गई है। अतः जो कोई भी व्यक्ति/संस्था का ग्वार, चँवला व मूंग का भूसे लेना चाहता है वो दिनांक 03.01.2024 को सुबह 11.30 बजे कृषि महाविद्यालय पर उपस्थित हो कर बोली लगा सकते हैं। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in, देखा जा सकता है।

क्र. सं.	विवरण फसल का नाम	अनुमानित भुसा (क्विंटल)
1.	ग्वार	30 क्विंटल
2.	मूंग	35 क्विंटल
3.	चँवला	03 क्विंटल


शर्तें निम्न प्रकार है :-

1. बोली लगाने वाले व्यक्ति को अमानत राशि रुपये 500/- जमा करवानी होगी।
2. बोली छुटने पर बोलीदाता को बोली की आधी राशि उसी समय पर जमा करवानी होगी तथा शेष राशि तीन दिवस में जमा करवानी होगी तभी भूसा ले जाने दिया जावेगा।
3. भूसा ले जाने का समय सुबह 8.00 बजे से साय 5.00 बजे तक का होगा।
4. भूसा ले जाने की अवधि आदेश मिलने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर उठाना होगा।
5. यदि किसी भी कारण भूसा उड़ता है या नुकसान होता है तो बोलीदाता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
6. उपरोक्त निलामी को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली बोली सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. श्रीमान् फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक/ फार्म स्टोर कीपर/ रोकडिया, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर।
3. श्रीमान् सरपंच ग्राम पंचायत गारिण्डा/बाठोड/नयाबास/बीबीपूर/बिराणिया /चूवास/ग्राम वासियों की सूचनार्थ हेतु।
4. सूचना पट्ट कार्यालय/ फार्म /पंचायत समिति, फतेहपुर।
5. क्रय विक्रय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ।


अधिष्ठाता